पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष – 0771- 2262802 (अकादमिक), 0771- 2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771- 2262818, 2262607

क्रमांक [illegible] /अका./ [illegible] /2011 रायपुर, दिनांक : 06/05/2011

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 29.04.2011 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

01	प्रो. एस.के. पाण्डेय	–	अध्यक्ष
02.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
03.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
04.	डॉ. ए.के. पति	–	सदस्य
05	डॉ. एस.के. सिंह	–	सदस्य
06.	डॉ. जगदीश गंगवनी	–	सदस्य
07.	डॉ. आर.बाला सुब्रननियम	–	सदस्य
08.	डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
09.	डॉ. अरविंद गिरोलकर	–	सदस्य
10.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
11.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
12.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
13.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
14.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
15.	डॉ. उज्जवल पाटनी	–	सदस्य
16.	डॉ. रवि भोई	–	सदस्य
17.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गए :–

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 22.03.2011 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : सम्पुष्टि की गई।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 26.02.2011 के पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.02.2011 के पालन प्रतिवेदन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय के साथ सूचना ग्रहण की गई।

कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.01.2011 के बिंदु क्रमांक 1 श्री अभिषेक गुप्ता, बी.ए.एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर, अनुक्रमांक 460003 के प्रकरण की जाँच के लिए गठित समिति की अनुशंसानुसार कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.02.2011 के निर्णय के पालनार्थ प्रकरण पुनः हस्तलिपि विशेषज्ञ को प्रेषित किया गया था जिसकी रिपोर्ट कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत की गई। निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर एफ.आई.आर. दर्ज किया जाए, इसके साथ–साथ प्रकरण 'नकल प्रकरण निवारण समिति' के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

03. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट / लघु शोध प्रबंध स्वीकार करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट / लघु शोध प्रबंध अंतिम बार स्वीकार करने की अनुमति दी गई। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट / लघु शोध प्रबंध निर्धारित तिथि तक जमा करने के संबंध में पाठ्यक्रम में उल्लेखित किया जाए। सभी महाविद्यालयों को अधिसूचित कर जानकारी उपलब्ध कराने के साथ वेबसाईट (www.prsu.ac.in) के माध्यम से भी जानकारी को अवगत कराया जाय।

04 पं. सुंदर लाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 21.03.2011 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : पं. सुंदर लाल शर्मा ग्रंथागार की ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 21.03.2011 के कार्यवृत्त को अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि जिन सेवानिवृत्त प्राध्यापकों ने पुस्तकें जमा नहीं की है, उनके सूची बनाकर कार्यपरिषद् को अवलोकन कराया जाए।

05. विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं के लिये पुस्तकों / विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं के लिये पुस्तकों / विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

06. विश्वविद्यालय कर्मचारियों को राज्य शासन के आदेशानुसार महंगाई भत्ता 35 प्रतिशत के स्थान पर दिनांक 01.04.2011 से 45 प्रतिशत प्रदान किये जाने के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कर्मचारियों को राज्य शासन के आदेशानुसार महंगाई भत्ता दिनांक 01.04.2011 से 35 प्रतिशत के स्थान पर 45 प्रतिशत प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया।

07. सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को संविदा पर नियुक्त करने संबंधी छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ–3–38 / 2010 / 38–1 / 1308 दिनांक 30.03.2011 को अंगीकृत करने पर विचार करना।

निर्णय : सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को संविदा पर नियुक्त करने संबंधी छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ–3–38 / 2010 / 38–1 / 1308 दिनांक 30.03.2011 को अंगीकृत करने संबंधी प्रस्ताव आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

08. सेमेस्टर / वार्षिक / पूरक परीक्षा 2010 में अनुचित साधन के उपभोग के फलस्वरूप पंजीबद्ध छात्रों के निराकरण हेतु गठित समिति के निर्णय की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सेमेस्टर / वार्षिक / पूरक परीक्षा 2010 में अनुचित साधन के उपभोग के फलस्वरूप पंजीबद्ध छात्रों के निराकरण हेतु गठित समिति के निर्णय की सूचना ग्रहण की गई।

पूरक विषयसूची

01 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.03.2011 में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन की सूचना प्रस्तुत।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.03.2011 में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन की सूचना, निम्नलिखित निर्णय के साथ ग्रहण की गई –

(1) अध्यक्ष की अनुमति से निर्णय क्रमांक–2 प्रो. जे.एल. भारद्वाज के प्रकरण के संबंध में माननीय कार्यपरिषद् सदस्य श्री ललित सुरजन द्वारा यह ध्यान में लाया गया कि प्रकरण में जो एफ.आई.आर. किया गया है इस पर निर्णय लंबित है, जबकि संबंधित प्राध्यापक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरणों पर विधिक अभिमत प्राप्त कर निराकरण किया जाय।

(2) अध्यक्ष की अनुमति से निर्णय क्रमांक–3 में कार्यपरिषद् के निर्णय पर विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग से संबंधित कार्यों जैसे–अधूरे भवन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / छत्तीसगढ़ शासन के अनुदान से प्रस्तावित भवन, एवं अन्य भवन के कार्य प्रभावित होने संबंधी विस्तृत जानकारी इस पर विश्वविद्यालय द्वारा आगामी कार्यवाही के लिए प्रस्ताव सहित प्रस्तुत की गई। माननीय कार्यपरिषद् सदस्य श्री ललित सुरजन द्वारा श्री बी.पी. भँवर (निलंबित सहायक यंत्री) का प्रकरण ध्यान में लाया गया। सदस्यों को प्रकरण के प्रारंभ से लेकर वर्तमान स्थिति तक की जानकारी से अवगत कराया गया तथा प्रकरण के अविलंब निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

02. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 23.04.2011 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 23.04.2011 के कार्यवृत्त को निम्नलिखित निर्णय के साथ अनुमोदन किया गया –

बिंदु क्रमांक 2 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर पद्धति लागू किए जाने के प्रस्ताव को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। परीक्षा प्रणाली परिवर्तन करने के संबंध में सदस्यों द्वारा जानकारी चाही गई कि अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी के रूप में कितने छात्र प्रतिवर्ष परीक्षा में शामिल होते हैं तथा उनके लिए परीक्षा की क्या व्यवस्था होगी, इस संबंध में विस्तृत आँकलन कर ली जावे।

03. सत्र 2011–12 के लिये परीक्षा / पुनर्मूल्यांकन फार्म मुद्रण कराने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : सत्र 2011–12 के लिये परीक्षा / पुनर्मूल्यांकन फार्म मुद्रण कराने के संबंध में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

04. शासकीय सेवकों के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों के पुनरीक्षण को विश्वविद्यालय अंगीकार करने पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय सेवकों के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों के पुनरीक्षण को विश्वविद्यालय अंगीकार किये जाने के प्रस्ताव को सिद्धांतः स्वीकार किया गया तथा इस संबंध में क्रियान्वित करने के पूर्व परीक्षण/आँकलन कर प्रस्ताव देने हेतु निम्नलिखित समिति बनाने का निर्णय लिया गया –

(1) डॉ. ए.के. पति, कार्यपरिषद् सदस्य – समन्वयक

(2) श्री एन.एस. ठाकुर, वित्त नियंत्रक – सदस्य

05. श्री क्यू. फजली, बर्खास्त कनि. अधीक्षक, द्वारा प्रस्तुत अपील पर विचार करना।

निर्णय : श्री क्यू. फजली, बर्खास्त कनिष्ठ अधीक्षक, के प्रकरण पर विधिक सलाह प्राप्त किया जाए।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. डॉ. प्रदीप पाण्डेय स्मृति स्वर्ण पदक, प्रदान करने हेतु राशि रू. 50,000/– विश्वविद्यालय कोष में जमा कराये जाने की सूचना ग्रहण करना।

<u>निर्णय</u> : **डॉ. प्रदीप पाण्डेय स्मृति स्वर्ण पदक, प्रदान करने हेतु राशि रू. 50,000/– विश्वविद्यालय कोष में जमा कराये जाने की सूचना ग्रहण की गई।**

02. डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, कुलअनुशासक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को किराया मुक्त आवास की सुविधा प्रदान करने पर विचार करना।

<u>निर्णय</u> : **डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, कुलअनुशासक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को किराया मुक्त आवास की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।**

03. एम.ए. अंतिम हिन्दी पत्रकारिता प्रोजेक्ट फाईल जमा करने के संबंध में विचार करना।

<u>निर्णय</u> : **एम.ए. अंतिम हिन्दी पत्रकारिता प्रोजेक्ट फाईल जमा करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।**

04. कु. दीपा विश्वकर्मा के प्रकरण पर गठित जाँच समिति के प्रस्तुत प्रतिवेदन के 'सील बंद लिफाफा' को खोला गया तथा समस्त सदस्यों को पढ़कर अवगत् कराया गया। प्रकरण पर कार्यपरिषद् द्वारा इस संबंध में पूर्व में ही सरस्वती नगर थाना में एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। कु. दीपा विश्वकर्मा के प्रकरण का जाँच प्रतिवेदन, नकल प्रकरण निवारण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

05. कार्यपरिषद सदस्य श्री ललित सुरजन के प्रस्ताव भारतीय सांस्कृतिक निधि (इन्टैक) की स्थापना सन् 1984 में एक सार्वजनिक न्यास के रूप में हुई थी। इस संस्था का मुख्यालय नई दिल्ली में है। [illegible] देश में 170 अध्याय हैं। विदेशों में भी इस संस्था के अध्याय कार्यरत हैं। इस संस्था का रायपुर अध्याय पिछले 25 वर्षों से कार्यरत है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ अध्याय का संचालन भी हो रहा है। यह संस्था विरासत संरक्षण, रखरखाव एवं जागरूकता की दिशा में कार्य करती है। विरासत से संबंधित अनेकों कार्य विभिन्न अध्यायों के लाखों सदस्यों के माध्यम से किये जाते हैं। यह संस्था पूर्णतः गैर सरकारी संस्था है तथा सदस्यों की सदस्यता एवं दान से मिले पैसों से इसका संचालन होता है। विश्वविद्यालय को सदस्य बनना चाहिए।

निर्णय : प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत भारतीय सांस्कृतिक निधि से संस्थागत सदस्य बनने के लिए आवश्यक सदस्यता शुल्क प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई।

06. विश्वविद्यालय कर्मचारियों को छठवाँ वेतनमान में एरियर्स प्रदान करने के संबंध में चर्चा हुई निर्णय लिया गया कि इस संबंध में कार्यपरिषद् सदस्यों की गठित समिति विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के सदस्यों से चर्चा करेंगे, इसके उपरान्त एक एजेंडा तैयार कर शासन से मिलकर इस प्रकरण पर आवश्यक पहल करेंगे जिससे शासन से स्वीकृति प्राप्त हो सके।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्र. : 3484 /अका./का.प./2011 रायपुर, दिनांक : 06/05/2011

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक/ प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप कुलसचिव (अका.)